निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 96 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, रामनगर के माह 12/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 18/12/2018 से 29/12/2018 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री सुनील कुमार, स॰ले॰प॰अ॰ द्वारा दिनांक 21/12/2017 से 02/01/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2015 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला नैनीताल एव पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**शासन को समर्पित राशि / अवशेष**	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	399.49	302.03	2965.74	2956.93	97.46	8.81
2016-2017	-	8.81	403.64	351.76	607.27	608.81	51.88	7.27
2017-2018	-	7.27	484.28	376.25	957.07	945.97	108.03	18.37
2018-19 (up to date)	-	18.37	347.64	271.22	675.89	652.53	76.42	41.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	**Nil**				
2016-17					
2017-18					
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iv) इकाई A की है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर-2, मुख्य अभियंता, कुमायूँ हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कालागड़, मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की, मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता

(6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, रामनगर को को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, रामनगर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/18 एव को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) ....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन “व्यय के आधार पर” .....के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13. लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में माह 03/18 में निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/18 तथा 09/18 तक की गई। (पंजिका अपूर्ण थी)
5. फार्म 51: माह 11 /2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम... शून्य

भाग द्वितीय ` 113691.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` (-)169762.85
(ख)	सामग्री क्रय–	` (-)856098.15
(ग)	नगद परिशोधन	` 1515872.00
(घ)	निक्षेप	` 1194916.00
(ङ)	भण्डार	` (-)6705.06

भाग दो अ

प्रस्तर सं01- रु. 51.32 लाख जी0एस0टी0 कर की धनराशि को संविदाकरों को अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction,Fabrication,completion,errection,installation,fittingout,improvement,modification,repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ………………

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure)													
	Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता । अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के **लिये** कैफियत **देने** में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल

या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता **सिंचाई** खण्ड रामनगर द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित सूचना में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 1/2018 से 7/2018(माह जनवरी रू0 12,24,436.00 फरवरी रू0 110987.00 मार्च रू0 28,60,199.00, सितम्बर रू0 4,61,032.00 माह 11/2018 रू0 4,75,681.00) अर्थात कुल रू0 51,32,335.00 तक का जी0एस0टी0 भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान एवं अतिरिक्त कर की 12 प्रतिशत धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना **चाहिए** था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और` 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था । इसलिये ख**ण्डीय** कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि भुगतान शासनादेश अनुसार तथा उत्तराखण्ड जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों के अनुरूप किये गये है। तथा भविष्य में किये जाने वाले भुगतान संविदाकरों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जायेगे।

विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योकि खण्ड कार्यालय के द्वारा यदि उत्तराखण्ड जी0एस0टी0 अधिनयिम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों का तनिक भी अनुश्रवण किया जाता तो धारा 22 एवं धारा 31 के अनुसार ही कार्यवाही करने के उपरान्त ही संविदाकरों को भुगतान की कार्यवाही की गयी होती। साथ ही साथ खण्ड कार्यालय के द्वारा आडिट आपत्ति को स्वीकार कर यह आश्वासन दिया जाना कि भविष्य में किये जाने वाले भुगतान को करने से पूर्व संविदाकरों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त करके ही भुगतान किया जायेगा से अपने आप में ही स्पष्ट करता है कि खण्ड कार्यालय को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों को अनुश्रवण ही नही था, इसलिये संविदाकारों को जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि का अधिक भुगतान कर दिया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1– वित्तीय नियमों के विपरीत अति अल्पकालीन एवं एकल निविदा के आधार पर धनराशि रू0 20.00 करोड़ के अनुबन्ध का गठन।

उत्तराखण्ड अधि प्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानानुसार अति–अल्पकालीन एवं एकल निविदा के आधार पर अनुबन्धों का गठन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसके लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध न हों एवं सक्षम अधिकारी/शासन की अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो।

सिंचाई खण्ड, रामनगर के अभिलेखों की जॉच में ज्ञात हुआ कि शासनादेश सं0 1987/11–2015–04 (02)/2011 दि0 24 जुलाई, 2015 द्वारा नाबार्ड RIDF-XX के अन्तर्गत नैनीताल के रामनगर वि0ख0 में कोसी फीडर के पुर्नउद्धार की योजना संस्तुत लागत रू0 2362.87 लाख में स्वीकृत की गयी थी। योजना की तकनीकी स्वीकृति समान राशि हेतु मुख्य अभियन्ता (कुमॉऊ) द्वारा अक्टूबर 2015 में प्रदान की गयी थी। योजनान्तर्गत तुमरिया जलाशय के भण्डारण हेतु कोसी फीडर नहर के पुर्नउद्धार एवं लाईनिंग के कार्य प्रस्तावित थे। कोसी फीडर की लम्बाई 9.8 किमी एवं निस्सरण क्षमता 1500 क्यूसेक थी। नाबार्ड द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु रू0 897.89 लाख, वर्ष 2016–17 में पुनः रू0 897.89 लाख एवं वर्ष 2017–18 हेतु रू0 448.95 लाख एवं राज्यांश हेतु रू0 118.14 लाख का प्रावधान किया गया था। कोसी फीडर नहर की रीच 2.00 किमी से 9.80 किमी के पुर्नउद्धार हेतु अधीक्षण अभियन्ता स्तर से एक अनुबन्ध (अनुबन्ध सं0 11/एस0ई0/2015–16) दि0 14.03.2016 को धनराशि रू0 20.0 करोड़ में मैं एस0 केटी बिल्डकॉन प्रा0 लि0, काशीपुर के साथ किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 14.03.2016 एवं कार्य समापन की तिथि 13.03.2018 थी अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण न होने के कारण अधीक्षण अभियन्ता स्तर से 6 माह तक प्रथम समयवृद्धि एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 से 12 माह (दि0 13.09.2019 तक) की द्वितीय समयवृद्धि संविदाकार को प्रदान की गयी थी। नवम्बर 2018 तक आंवटित राशि रू0 1357.54 लाख के सापेक्ष रू0 1353.59 लाख का व्यय योजना पर किया गया था। अनुबन्ध पत्रावली के अवलोकन में यह भी संज्ञान में आया कि उक्त अनुबन्ध

अति–अल्पकालीन एवं एकल निविदा के आधार पर किया गया था। संदर्भित निविदा प्रकाशन की तिथि 11.01.2016 एवं बिड जमा करने (Submission) की अंतिम तिथि 18.01.2016 थी जबकि बिड जमा करने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए था। बिड कमेटी द्वारा दिनांक 19.01.2016 को क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय बिड़ आनलाईन पोर्टल पर खोलने पर केवल एक ही फर्म द्वारा बिड़ प्राप्त हुई थी जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जबकि विभाग को पुनः निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी।

इस प्रकार विभाग द्वारा धनराशि रू0 20.00 करोड़ का अनुबन्ध अति अल्पकालीन एवं एकल निविदा के आधार पर वित्तीय नियमों के विपरीत किया था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा जनहित में अति अल्पकालीन ई-निविदा आमन्त्रित की गयी एवं कोसी फीडर जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण कार्य कराया जानना अति आवश्यक था, अतः एकल निविदा पर अनुबंध गठित किया गया।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि कार्य स्वीकृति के तीन माह उपरान्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा कार्य भी समय पर पूर्ण नहीं हुआ था जैसाकि 18 महीने की समयवृद्धि दी गयी थी। अतः अति-अल्पकालीन एवं एकल निविदा के आधार पर अनुबंध गठित किये जाने का खण्ड का कारण तर्कसंगत नहीं था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- रु 1,69,762.85 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 11/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मो/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 1,69,762.85 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे समायोजन की कोई कार्यवही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 1,69,762.85 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
65/17-18	-	1,2	-
46/2004-5	-	1,	
09/2005-06	01	1,2	
45/2010-11	01	-	
4/2013-14	-	01	
48/2015-16	-	1,2	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रामनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (i) शून्य

सतत् अनियमितताएः

शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1) श्री	के सी उनियाल	अधिशासी अभियंता

विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(1) श्री	विष्णु विकास गुप्ता	खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रतिअधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रामनगर, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी\आर्थिक क्षेत्र-2